विविध वाद संख्या – 04/1997

चंद्रदेव ओझा – आवेदक

बनाम

पुनीता ओझा – विपक्षी

आदेश

दिनांक–17.07.2026

1. प्रस्तुत विविध वाद स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में पारित सुलहनामा डिक्री दिनांक 20.09.1996 को निरस्त करने हेतू इस आधार पर दाखिल किया गया है कि सुलहनामा डिक्री पुनीता ओझा के द्वारा अपने पिता रामानुज पाण्डेय के साथ षडयंत्र करके जाली एवं फरेबी वकालतनामा एवं सुलहनामा आवेदक चंद्रदेव ओझा के तरफ से दाखिल करके प्राप्त किया गया है। अतः सुलहनामा डिक्री दिनांक 20.09.1996 को कपट के आधार पर पारित होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

2. प्रार्थी चन्द्रदेव ओझा के तरफ से मुकदमे सदर गुजारिश है कि मन फिदवी पहले पहल दिनांक–11.01.1997 को पंचायत प्रधान डानकुनी जिला हुगली पश्चिम बंगाल से इस बात की खबर मिली कि मसीउल्लेहा ने बेयानीय नंबरी मुकदमा नं0–184 सन् 1993 प्रथम अवर न्यायाधीश बक्सर के ईजलास से बेयानीय सुलहनामा डिक्री दिनांक–20.09.1996 बनिस्वत एराजीयात सैय तकरारी मुकदमा हाजा महज फरेबन हासिल कर ली है जिसकी इल्म मन शायल खाह किसी दिगर असखाह को कभी होने नहीं दिया कि मन शायल ने वास्ते जानकार होने हकीयत के बक्सर कचहरी आकर सब जज–1 के सिरिस्ता में बजरीये वकील जांच–पड़ताल कराया वो मिली सनाक्त के आधार पर दिनांक–28.01.1997 को बजाप्ता नकल लेने का सवाल दिया जो दिनांक–03.02.1997 को तैयार होकर मन शायल को दिनांक–04.02.1997 को प्राप्त हुआ। जिसको पढ़ने वो पढ़वाने से मन शायल को बयानीय मुकदमा नं0 184/93 में मसीउल्लेहा खाह उसके पेदर वो भी उनके मेली वो सरोकारी दिगर असखास को किए गये कुल सारे हसब सरायत जैल जाल फरेब वो भी धोखाधड़ी का पहले पहल पता दिनांक–05.02.1997 को चल सका। असल अर्जीदावी बेयानीय मुकदमा नं0 184/93 नंबरी के बजाप्ता नकल को पढ़ने वो पढ़वाने

से यह पहले पहल जाहिर हो सकी कि मसीउल्लेहा जो मुकदमा नंबरी की तनहा मुदईया रही उसने मुकदमा हाजा की सैय तकरारी एराजीयात जिसकी पुरी सराहत व मुताबिक अर्जीदावी सवाल हाजा के जैल में अंदरे जमीमा नं0 1 में दिया जाता है उसको अपनी हकीयत वो भी दखली एराजीयात होने का सरासर गलत दावे के आधार पर मुकदमा दाखिल की थी मुकदमा वास्ते डिक्लेयर कराने अपना हकीयत उपर मोसलम एराजीयात सैय तकरारी के दाखिल की थी। बाजुहात अर्जीदावी के मुलाहिजे से यह भी जाहिर हो सका है कि मौजुदा मोसीउल्लेहा ने मौजा ब्रहम्पुर, थाना ब्रहम्पुर जिला बक्सर की एराजी को मसीउल्लेहा के सौहर श्री भगवान ओझा के नाम से मन शायल के बेरादरान के साथ इजमाल की हालत में इजमाल पैसे से बेरादरान के साथ इजमाल की हालत में इजमाल पैसे से खरीदगी एराजी रही जो बादहूँ बजरिये बंटवारा सुलहनामा डिक्री मौरखे 28.04.95 अंदर मुकदमा नं0 61/94 से मन शायल के खास हक हिस्से वो तख्ते में मिली दखली वो हकीयती की एराजी है। अलावे मौजा बेलूर थाना वाली जिला हावड़ा की एराजी मुतजिहरे सदर जो मन शायल अपनी निजी कमाई के रूपया से शायल ने साथ अपनी विधवा भौजाई मु0 पार्वती कुंवरी जौजे ब्रम्हदेव ओझा के नाम से 8 कट्ठा एराजी वजरिये वोसीका बैला कलामी मन शायल वो पार्वती देवी के नाम से खरीद किया था जिसके दखल कब्जे में निस्फ–निस्फ अब तारीख खरीदगी से दखल कब्जा में चले आते थे कि उस खरीदगी एराजी हक हिस्सा मन शयल मुन्दर्जे जमीमा नं0 1 सवाल हाजा को मसीउल्लेहा के मुंह देखाई में मीन जानिब शायल देने का बिल्कुल गलत बेयान किया है। अर्जीदावी के मुलाहिजे से यह भी जाहिर हो सका कि मौजा मृगला (साउदर बन्दुर वील गार्डेन) थाना चंडी ताला जिला हुगली पश्चिम बंगाल की एराजी मुतजीकरे सदर मुन्दर्जे जमीमा नं0 2 सवाल हाजा जो मन शायल की अलग की हालत में मन शायल की खास खरीदी हुई हकीयती वो दखली की एराजी है उसके निस्वत भी मसीउल्लेहा ने अर्जी में गलत बेयान कर अपने मुंह दिखाई में मिली नगद पैसे वो नैहर से मिला नगद रूपया के एड से मन शायल के जरीये खरीदने वो भी उस एराजी को अपनी खास हकीयती वो भी दखली होने की एराजी का गलत बेयान करते हुए वो मन शायल को अपना कारीन्दा खाह बेना मीदार होने का गलत बेयान किया है उस एराजी पर भी अपना हकीयत डिक्लेयर करने का गलत दावा पेश किये हैं। मौजा वेलूर थाना वाली जिला हवड़ा वो भी मौजा मृगला (साउदर बन्दुर वील गार्डेन) थाना चंडी ताला जिला हुगली पश्चिम बंगाल में जो एराजी वसीका के द्वारा हासिल की थी उसका असल दस्तावेज मन शायल मु0 पार्वती कुंवरी को दे रखा था कि मु0 पार्वती कुंवरी से बहका–फुसलाकर मसीउल्लेहा के

पति अपने कब्जे में कर लिये हैं वो एक न एक जाल फरेब करना शुरू कर दिये हैं। मुकदमा नं0 184/93 के आर्डर सीट के मोलाहिसे से भी यह जाहिर हो सका है कि मुदईया के तरफ से मुकदमा का अर्जीदावी दिनांक–8.10.93 को बजरिये वकील श्री रामानुज पाण्डेय अधिवक्ता जो मसीउल्लेहा के पेदर है उनके जरीये दाखिल किया गया है जो दिनांक–8.12.93 को अदालत सदर से स्वीकृत हुआ वो दिनांक–4.1.94 को समन तथा निबंधित कार्ड जारी करने का हुक्म अदालत सदर से हुआ। मुकदमा नं0 184 सन् 93 के आर्डर सीट के मोलाहिजे से यह भी जाहिर हो सका है कि मुकदमा में नोटिस जारी करने के लिए दिनांक–4. 1.94, 7.1.94, 1.3.94, 30.3.94, 22.4.94 एवं 3.5.94 तक आदेश होते रहा लेकिन कोई समन अथवा रजिस्टर्ड कार्ड अदालत सदर से तनहा मुदालय मन शायला के नाम से कभी जारी नहीं हुआ वो अन्तिम तारीख वास्ते जारी करने नोटिस दिनांक–4.5.94 को रही जिस दिन बजाय जारी करने नोटिस के लिए बिल्कुल जाली फरेबी वकालतनामा वो सुलहनामा मन शायल के तरफ से अशोक कुमार सिंह अधिवक्ता के तरफ से दाखिल कया वो कई एक तारीख तक बयानीय सवाल सुलहनामा पर जनाब सिरिस्तेदार से रिपोर्ट मंगाने के लिए हुक्म अदालत सदर से होते रहा कि दिनांक–20.9.96 को मसीउल्लेहा के पेदर रामानुज पाण्डेय को मुकदमा हाजा में मुदईया के तनहा वकील लाइयर ने बयानीय सवाल सुलहनमा को अदालत सदर के सामने प्रेस कर अदालत सदर को धोखा वो भी तमा देकर अदालत सदर से सवाल सुलहनामा को मंजूर करा बयानीय सुलहनामा के मोताबिक डिक्री बहक मुदईया वाला सादीर करा पाया। रेकर्ड के मोलाहिजे से यह भी जाहिर हो सका कि मन शायला की जगह पर किसी दिगर सक्स से मन शायल का प्राक्सी बयानीय वकालतनामा वो मन शायल का जाली हस्ताक्षर बनाया गया है वो मन शायल के जरीये अशोक कुमार सिंह के वकील मोकर्रर करने की फरेबी कारवाई की गई अलावे इसके बयानीय सवाल सुलहनामा पर मन शायल का जाल दस्तखत किसी दिगर सक्स से कराकर मन शायल का पहचान किसी अनुभवी व्यक्ति रामजी चौबे से मन शायल के बेयानीय हस्ताक्षर का पहचान कराया गया वो बयानीय सुलहनामा पर मन शायल के बेयानीय अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह से सुलहनामा पर दस्तखत बनाने का मीन जानिब मन शायल इस्तदुवा करने का गलत एवारत दर्ज कराया गया। हकीकत की जांच पड़ताल करने से यह भी पता चल सका कि अशोक कुमार सिंह मसीउल्लेहा के नेटीभ ग्राम डुमरांव के रहने वाले वो मसीउल्लेहा के पेदर वो भी उसके वर्कींग लाइयर रामानुज पाण्डेय के जजमान वो भी रामाजुन पाण्डेय के जुनीयर की हैसियत से काम करने वाले वकील रहे जे फिलहाल फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। जहां तक

हकीकत का सवाल है मन शायल कभी भी दिनांक–11.01.97 के कवल मुकदमा नं0 184 /93 की कोई इल्मीयत कभी नहीं रही वो मन शायल वो भी मन शायल के परिवार वो न किसी असखास को रही वो न मन शायल ने कभी बयानीय वकालतनामा वो सुलहनामा पर अपना हस्ताक्षर कभी बनाया वो न बेयानीय रामजी चौबे को कभी जानता वो पहचानता तक नहीं। उनसे अपना बयानीय सुलहनामा पर के हस्ताक्षर को एटेस्ट करने के लिए कभी नहीं कहा वो न कभी अशोक कुमार सिंह अधिवक्ता को कभी अपना वकील मोकर्रर किया वो न बेयानीय सवाल सुलहनामा दिनांक–3.5.94 पर अधिवक्ता की हैसियत से सवाल सुलहनामा का बेयानीय मजबून को अजखुद पढ़ा वो न किसी दिगर सक्स से पढ़वा कर सुनने समझने का कभी मौका हुआ। असलियत यह है कि मसीउल्लेहा के पिता रामानुज पाण्डेय मन शायल के परिवार का मुकदमा सब पहले से देखते थे जिस समय परिवार संयुक्त था वो संयुक्त परिवार का मुकदमा अधिवक्त की हैसियत से देखने का मौका उन्हें मिलता रहा कि मन शायल से कभी–कभी जल्दीबाजी में सादे वकालतनामा वो सादे कागज पर हस्ताक्षर करकर ले लेते थे वो मन शायल से बोलते थे कि जाइये काम कर देंगे। मन शायल एक सीधा सादा अनपढ़ व्यक्ति है वो रामानुज पाण्डेय को अपने परिवार का शुभ चिन्तक वो संबंधी के रूप में विश्वास कर हस्ताक्षर कर दे दिया करता था नंबरी मुकदमा 184 / 93 के जाल वो फरेब देखकर मन शायल को अब काफी डर हो गया कि आगे भी कोई जाल करेंगे या किये होंगे जिसकी पायबंदी मन शायल पर नहीं होगी। मन शायल अदालत सदर से अर्ज प्रदाज है कि बेयानीय सुलहनामा डिक्री मुतजिकरे सदर की कोई इल्मीयत मन शायल को दिनांक–4.2.97 के कवल कभी नहीं रही वो बेयानीय जाली फरेबी डिक्री के बुनियाद पर कानूनन असालत हक वो अख्तियार मसीउल्लेहा को मुसलम सैय तकरारी एराजीयात बेयानीय डिक्री दिनांक–20.9.96 दरामद हुआ। अलावे इसके बहुतेरे जाल फरेब धोखा धड़ी की कारवाई मसीउल्लेहा बमेल वो साजीस अपने पिता रामानुज पाण्डेय के कनपिरेसी से अन्दर मुकदमा नं0 184 /93 अंदर बयानीय वकालतनामा वो सुलहनामा में किया है जो ववख्त सुनवाई मुकदमा हाजा के जाहिर वो साबित होगा। अतः निवेदन है कि सवाल मय एफेडेविट हाजा दाखिल कर उम्मीदवार के मुकदमे में बयानीय सुलहनामा डिक्री दिनांक–20.09.1996 अन्दर मुकदमा नं0–184 / 93 नंबरी मुतजीकरे सदर को सेट एसाइड किया जाए।

3. विपक्षी पुनीता ओझा के तरफ से दाखिल प्रतिउत्तर में कथन किया गया है कि सायल के सवाल के देखने से पता चलता है कि जनवरी 1997 में नंबरी मुकदमा 194 सन् 1993 के डिक्री की जानकारी

हुई वे उसको पता लगाते–लगाते वो सभी कागजात को उपलब्ध करने के वाद पता चला कि गलत है। सायल को शुरू से नंबरी मुकदमा वो डिक्री की जानकारी है लेकिन कई माह के बाद विविध वाद दाखिल हुआ है उससे बचने के लिए उसका व्याख्या दिया गया है। सायल खुद सुलहनामा में दस्तखत किये हैं वैसे हालत में उन्हें कई माह के बद पता लगने का सवाल नहीं उठता है। उन्होंने गलत बयान किया है कि उन्हें इसकी जानकारी पंचायत प्रधान डानकुनी से हुई। सायल के दावे के मुताविक सवाल का मुतफरका चलाने लायक नहीं है वे काबिल खारिज के है। बयान पारा नं0–1 में जो नंबरी मुकदमा 194 सन् 1993 का बजाप्ता नकल लेकर वो पढ़ने पढ़वाने की बात सवाल में दिया गया है वह भी बिल्कुल गलत है। चूंकि सुलहनामा के पहले पंचायती हुई थी वो पंचायती में श्री कृष्ण बिहारी मिश्र अधिवक्ता फैसला किये थे वो उसी आधार पर सुलहनामा हुआ वो उसे समझ बुझकर चंद्रदेव ओझा ने दस्तखत किया है वो उनके कहने से रामजी चौबे ने उनके दस्तखत का पहचान किया वो उनके कहने से श्री अशोक कुमार सिंह अधिवक्ता ने दस्तखत किया। जब सायल ने सभी बातों को जानकर और समझ बुझकर अपना हस्ताक्षर किया तो वैसे हालत में वाद में अर्जी में दिये गये बयान को जानने का सवाल नहीं उठता है। बयान सायल मुन्दर्जे पारा नं0–2, 3 एवं 4 सवाल की जानकारी इस तरीके से है कि पुनीता ओझा ने पारवती कुंवरी को बहला–फुसला कर पुनीता देवी के पति ने अपने कब्जे में नहीं किया है तथा जाल फरेबी नहीं किये हैं बल्कि सही तरीके से किये हैं। शर्त सुलहनामा पंचायती के द्वारा तय हुआ था वहीं टाईप हुआ था वो उसे पढ़कर वो समझकर चंद्रदेव ओझा ने दस्तखत बनाया वो उनके कहने पर उनका पहचान रामजी चौबे ने किया है। सिरिस्तेदार के जांच प्रतिवेदन मंगाने के बाद दोनों पक्ष के अधिवक्ता के समक्ष सुलहनामा मंजूर हुआ। वकालतनामा एवं सुलहनामा पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रोक्सी करके हस्ताक्षर नहीं कराया गया है बल्कि खुद चंद्रदेव ओझा ने दस्खत किया है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि अशोक कुमार सिंह को सायल ने वकील मुकर्रर नहीं किया था। रामजी चौबे अजनबी व्यक्ति सायल के नहीं है। सुलहनामा का मजबून पुनीता ओझा वो उनके पति के सामने वो दिगर व्यक्ति के सामने तय हुआ वो नंबरी मुकदमा 194 सन् 1993 में किये गये दावा वो चंद्रदेव ओझा ने कबूल वो मंजूर किया वो उसी आधार पर दिनांक–03.05.94 को राम प्रसाद टंकक ने टाईप किया वो उसके बाद दोनों को पढ़ कर सुना वो समझा दिया गया तथा उनके अधिवक्ता ने हस्ताक्षर किया वो पुनीता ओझा का हस्ताक्षर का पहचन रामानुज पांडेय ने किया वो सुलहनामा में किसी तरह का जाल फरेब नहीं किया गया है। सवाल सायल मुन्दर्जे पारा नं0–9 एवं 10 सवाल बिल्कुल गलत

है तथा सायल के एक ही बात को बार–बार गलत तरीके से दोहराया है जिसका तरदीद में पहले भी किया जा चुका है। नंबरी मुकदमा 194 सन् 1993 में समझौता डिक्री में किसी तरह का जाल फरेब नहीं हुआ है। वैसे हालत में डिक्री को अपने जगह पर कायम रहने से कोई भी जरर्र अजीम सायल को नहीं है तथा सुलहनामा डिक्री दिनांक–20.09.96 रद्द होने लायक नहीं है। पारा नं0–11 सवाल की पुरी जानकारी नहीं है बल्कि मसिउल्लेह को इतना ही जानकारी है कि संयुक्त परिवार के मुकदमा में भी रामानूज पाण्डेय वकील की हैसियत से काम करते थे। पारा नं0–12 एवं 13 सवाल बिल्कुल गलत है। डिक्री दिनांक–20.09.96 जाली फरेब नहीं है बल्कि इसकी जानकारी सुलहनामा के पहले से है। नंबरी मुकदमा 194 सन् 1993 सही है वैसे हालत में सेट–एसाईड होने का सवाल नहीं उठता है। कलकता में ब्रम्हदेव ओझा वो हरिहर ओझा बिजनेस करते थे वो उन्हीं लोगों की कमाई से जायदाद अर्जित की गयी है। इसके अलावे मौजा निमेज वो ब्रम्हपुर में भी बहुत सी जायदाद अर्जित की गयी है चंद्रदेव ओझा बंगाल में एक दिन के लिए भी जिनेस में नहीं रहे हैं। जायदाद का खानगी बंटवारा हुआ वो उसके चंद्रदेव ओझा को दफेयात करके कई लाख रूपया श्री भगवान ओझा ने स्टेट बैंक आफ इण्डिया ब्रम्हपुर में भेजा है जिसको चंद्रदेव ओझा ने प्राप्त किया है। लेकिन शर्त के मुताबिक कागजात का रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो सुलहनामा में भी संपत्ति देने के लिए स्वीकार किये वो इसी आधार पर सुलहनामा हुआ। अतः निवेदन है कि सवाल खारिज किया जाए।

4. आवेदक अपने दावे के समर्थन में साक्षी के रूप में फुलेश्वर सिंह, शिवकुमार पाण्डेय, दारोगा सिंह, वासुदेव मिश्र, चंद्रदेव ओझा तथा विकास श्रीवास्तव का परीक्षण कराया गया तथा दास्तवेजी साक्ष्य के रूप में आवेदक का मूल हस्ताक्षर तथा स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में वादी के लिखावट को क्रमशः प्रदर्श 01 तथा 01/ए के रूप में अंकित कराया गया। पुनः स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में दाखिल सुलहनामा पर आवेदक के हस्ताक्षर तथा वकालतनामा पर आवेदक के हस्ताक्षर को प्रदर्श 02/ए तथा 02 के रूप में प्रदर्श कराया गया तथा वकालतनामा दिनांक 17.02.1997 पर आवेदक के हस्ताक्षर को प्रदर्श 02/बी एवं दिनांक 10.12.2003 को आवेदक के हस्ताक्षर के नमूने को प्रदर्श 02/सी अंकित कराया गया। पुनः स्वत्व वाद संख्या 184/1993 के आदेश की सच्ची प्रतिलिपी को प्रदर्श 04 तथा इसमें दाखिल विवादित सुलहनामा एवं वादपत्र की सच्ची प्रतिलिपी को क्रमशः प्रदर्श 05 तथा प्रदर्श 06 अंकित कराया गया।

5. विपक्षी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में साक्षी के रूप में रामजी चौबे, शिवजी पाण्डेय, नागेन्द्र नारायण लाल, गुलाब लाल, जयप्रकाश उपाध्याय, श्रीभगवान ओझा, रामानुज पाण्डेय, मुकुन्द प्रसाद सिंह का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया गया। जबकि इस वाद की विपक्षी पुनीता ओझा का शपथ पत्र दाखिल किया गया किंतु प्रतिपरीक्षण के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।

6. पुनः विपक्षी अपने दावे के समर्थन में दास्तवेजी साक्ष्य के रूप में स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में दाखिल सुलहनामा आवेदन को प्रदर्श ए तथा इसपर आवेदक के तरफ से अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श ए/01 पर अंकित कराया गया। पुनः आवेदक की तरफ से स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में दाखिल अधिवक्ता नियुक्ति पत्र पर आवेदक के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह तथा आवेदक के हस्ताक्षर को क्रमशः प्रदर्श बी तथा बी/01 के रूप में अंकित कराया गया।

7. आवेदक को अपने दावे के समर्थन में यह साबित करना है कि स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में आवेदक के द्वारा किसी प्रकार का सुलहनामा दाखिल नहीं किया गया था और न हीं सुलहनामा पर आवेदक का हस्ताक्षर है। पुनः आवेदक को यह भी साबित करना है कि विवादित सुलहनामा स्वत्व वाद संख्या 184/1993 में वादी के द्वारा न्यायालय पर कपट करके प्राप्त किया गया है।

8. अभिलेख अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक तथा विपक्षी एक ही परिवार से है तथा विपक्षी पुनीता ओझा आवेदन चंद्रदेव ओझा के छोटे भाई श्री भगवान ओझा की पत्नी है।

9. उपरोक्त तथ्य के आलोक में वादी के द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक स्वंय साक्षी सं0 06 के रूप में न्यायालय में उपस्थित हुआ जिसमें अपने परीक्षण में अपने दावे से संबंधित तथ्यों का पूर्ण समर्थन किया है। जबकि प्रतिपरीक्षण में आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में कथन किया है कि विवादित सुलहनामा पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है और न हीं आवेदक के द्वारा अधिवक्ता अशोक सिंह को कभी भी अपने वकील के रूप अधिवक्ता नियुक्ति पत्र के द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया था। अपने इस दावे के समर्थन में आवेदक के द्वारा हस्तलेख हस्ताक्षर एवं अंगुलांक विशेषज्ञ के द्वारा विवादित सुलहनामा तथा विवादित अधिवक्ता नियुक्ति पत्र पर अपने हस्ताक्षर का परीक्षण कराया गया। जिसके प्रतिवेदन को प्रदर्श 03 के रूप में अंकित किया गया तथा अंगुलांक विशेषज्ञ विकाश श्रीवास्तव का परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण न्यायालय में कराया गया। प्रदर्श 03 के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित सुलहनामा दिनांक 03.05.1994 तथा विवादित वकालतनामा

दिनांक 03.05.1994 पर कथित आवेदक के हस्ताक्षर का मिलान स्वीकृत वकालतनामा दिनांक 17.02.1997 तथा नमूने के रूप में आवेदक के हस्ताक्षर पर विशेषज्ञ का प्रतिवेदन नकारात्मक है। जिसके आलोक में प्रतिवेदन के अंकित निष्कर्ष के रूप में यह कहा गया है कि विवादित सुलहनामा तथा अधिवक्ता नियुक्ति पत्र पर कथित हस्ताक्षर आवेदक चंद्रदेव ओझा का नहीं है। पुनः विशेषज्ञ के प्रतिवेदन के आलोक में साक्षी के रूप में विशेषज्ञ विकाश श्रीवास्तव के परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण के अवलोकन से विदित होता है कि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 16 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि चंद्रदेव ओझा नामक हस्ताक्षर में विवादित एवं स्वीकृत हस्ताक्षर में कोई भी अक्षर एक दूसरे से मेल नहीं खाते है। पुनः पैरा 19 में उनका कथन है कि उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में कुल 19 बिंदू असमानता का लिखा है तथा समानता में केवल अक्षर का अलाईनमेंट ही है। अतः प्रदर्श 03 में लिखित बिंदूओं तथा साक्षी सं0 07 के बयान को समग्र रूप से परिशीलन करने पर यह र्निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि आवेदक चंद्रदेव ओझा के द्वारा टाईटल सूट 184/1993 में अधिवक्ता नियुक्ति पत्र के द्वारा अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह को नियुक्त नहीं किया गया था और न ही इस वाद में सुलहनामा आवेदक के ओर से दाखिल किया गया था।

पुनः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के विरोध में विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत मात्र मौखिक साक्ष्य से यह किसी प्रकार से विदित नहीं होता है कि विपक्षी के द्वारा यह तथ्य साबित किया जा सका हो कि आवेदक विवादित सुलहनामा पर अपना हस्ताक्षर किया। इस प्रकार अभिलेख पर उपस्थित तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित होता है कि आवेदक के द्वारा विवादित सुलहनामा दिनांक 03.05.1994 आवेदक के द्वारा दाखिल नहीं किया गया था बल्कि किसी अन्य के द्वारा उस सुलहनामा पर आवेदक का हस्ताक्षर करके दाखिल किया गया था। ऐसी परिस्थिति में यह निष्कर्ष निकालना न्यायोचित प्रतीत होता है कि स्वत्व वाद 184/1993 में वादिनी पुनिता ओझा, उनके पिता रामानुज पाण्डेय तथा अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह के द्वारा षडयंत्र करके आवेदक का विवादित सुलहनामा तथा अधिवक्ता नियुक्त पत्र पर जाली हस्ताक्षर बनाकर न्यायालय पर कपट कारित करते हुए सुलहनामा के आधार पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.09.1996 प्राप्त किया गया। अतः विवादित डिक्री कपट के आधार पर प्राप्त किए जाने के कारण शून्य घोषित होने योग्य है।

10. इस प्रकार अभिलेख पर उपस्थित तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य के आलोक में उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर स्वत्व वाद सं0

184 / 1993 में पारित सुलहनामा डिक्री दिनांक 20.09.1996 को न्यायालय पर कपट कारित करने के आधार पर शून्य घोषित किया जाता है।

लेखापित

अवर न्यायाधीश तृतीय
अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, डुमरांव।